भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2602

दिनांक 19.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का क्रियान्वयन

2602. श्री बी॰ के॰ हरिप्रसादः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) ने देश में वांछित परिणाम प्राप्त कर लिये हैं; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है और देश में सभी आवास स्थलों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) राज्यों द्वारा मंत्रालय के ऑनलाइन मॉनीटरिंग पोर्टल एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 14.03.2018 के अनुसार, 77.66 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) से अधिक की उपलब्धता द्वारा पूर्ण रूप से कवर कर लिया गया है, जबकि 18.21 प्रतिशत बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं जहाँ पेयजल की उपलब्धता 40 एलपीसीडी से कम है और शेष 4.13 प्रतिशत बसावटें कम से कम एक संदूषकों से गुणवत्ता प्रभावित हैं जो 01.04.2011 को क्रमशः 70.12 प्रतिशत, 22.58 प्रतिशत और 7.30% थी। इसके अलावा, आज की तारीख तक 55.48 प्रतिशत आबादी की पहुँच नल जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) तक है और कुल ग्रामीण परिवारों का 16.93 प्रतिशत के पास घरेलू कनेक्शन है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कवरेज को दर्शाता है जहाँ पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(ख) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत स्कीमों की प्रगति और राज्यों को जारी की गई निधियों के व्यय की निगरानी करने के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन 'एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)' मौजूद है। स्कीमों के पूरा होने और निधियों के व्यय की प्रभावी निगरानी हेतु राज्य सचिवों और इंजीनियर-इन-चीफ ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। परियोजनाओं की समीक्षा/निगरानी के लिए मंत्रालय से क्षेत्र अधिकारी भी राज्यों का दौरा करते हैं। इसके अलावा, दीर्घकालिक समाधान के रूप में, इस मंत्रालय ने राज्यों को निदेश दिया है कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी सुरक्षित स्रोत से नलजल आपूर्ति द्वारा कवर करें। इसे प्राप्त करने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है कि वे 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के वर्धित हस्तांतरण के मद्देनजर राज्य योजना से और अधिक धन जुटाएं और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत मंत्रालय से प्राप्त निधियों के अतिरिक्त, बाह्य सहायता अथवा ऋणदाता संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने रणनीतिक लक्ष्य 2017-2030 तैयार किया है जिसमें मंत्रालय का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ''हर घर जल'' अर्थात् राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के जरिये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का है। मंत्रालय का लक्ष्य अंततः 2030 तक ग्रामीण आबादी को नलजल आपूर्ति और घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को प्रतिस्पर्धी, लक्ष्य आधारित और परिणाम उन्मुख बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया है जिससे लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।